

\*प्रेस नोट दिनांक 31.07.2024\*

\*जनपद चन्दौली\*

\*□ श्रीमान् पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेश के क्रम में चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विकशन" को निरन्तर सफल बना रही है चन्दौली पुलिस\*

\*□ "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत मारपीट व हत्या के दोषी 04 अभियुक्तों को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्तों को 03-03 वर्ष का कठोर कारावास व 11000-11000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।\*

□ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री विनय कुमार सिंह (एएसजे-III कक्ष संख्या प्रथम) जनपद चन्दौली द्वारा दोषी 04 अभियुक्तों को 03-03 वर्ष का कठोर कारावास व 11000-11000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।

\*जनपद चन्दौली थाना अलीनगर के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-\*

1-दिनांक 02.04.2006 को धारा 323,324,325,504,506,307 भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.घनश्याम तिवारी पुत्र स्व0 राजकुमार तिवारी 2.आदित्य नारायण तिवारी पुत्र घनश्याम तिवारी 3.अनिल कुमार तिवारी पुत्र घनश्याम तिवारी 4.सुनील तिवारी

उर्फ राजू तिवारी पुत्र घनश्याम तिवारी निवासीगण हंडा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 59/06 धारा 323,324,325,504,506,307 थाना अलीनगर में पंजीकृत किया गया।

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा० न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक श्री संजय कुमार त्रिपाठी (एडीजीसी) व थाना अलीनगर के पैरोकार हे० का० राकेश कुमार सिंह की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 31.07.2024 मा० न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री विनय कुमार सिंह (एसजे-III कक्ष संख्या प्रथम) जनपद चन्दौली द्वारा दोषी अभियुक्तों 1.घनश्याम तिवारी पुत्र स्व० राजकुमार तिवारी 2.आदित्य नारायण तिवारी पुत्र घनश्याम तिवारी 3.अनिल कुमार तिवारी पुत्र घनश्याम तिवारी 4.सुनील तिवारी उर्फ राजू तिवारी पुत्र घनश्याम तिवारी निवासीगण हंडा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली को 03-03 वर्ष का कठोर कारावास व 11000-11000 रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।